



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (२०)

(सं० पटना ७१) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

एस० ओ० २३१, दिनांक 13 अक्टूबर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम १२) की धारा २३ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० ८८०, तारीख २१ सितम्बर, 2017, जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में एस०ओ० १७९ तारीख २१ सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित सम्मोहन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

(i) क्रमसं० ९ और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :-

"९	टैक्सटाईल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63 सहित";
----	---	---------------------------

- (ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल, नामदा, गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017—3740)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 232, एस०ओ० 231, दिनांक 13 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017—3740)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

S.O. 231, dated 13th October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 880, dated 21st September, 2017, of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide S.O. No. 179, dated the 21st September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table –

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63”;
----	--	--------------------------------

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter”.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3740)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 971-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>